संख्याः–715/नौ–5–2018–120बजट/2013

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश(द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक : 17 मार्च, 2018

विषयः–राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु संचालित "नगरीय सड़क सुधार योजना" के कियान्वयन हेतु निर्गत दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2087/नौ–5–13–120बजट/13, दिनांक 07.06.2013, शासनादेश संख्या–3747/नौ–5–13–120बजट/13, दिनांक 10.09.2013 एवं शासनादेश संख्या–24वीआईपी(1)/नौ–5–17–120बजट/13, दिनांक 24.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सडकों के सुधार हेतु संचालित "नगरीय सड़क सुधार योजना" के कियान्वयन हेतु निर्गत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– शासन के संदर्भित शासनादेश दिनांक 24.08.2017 द्वारा नयी/क्षतिग्रस्त मार्गो के निर्माण कार्य स्थलीय व कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इण्टरलाकिंग ब्रिक्स व सीमेंट कंकीट (सी0सी0) से कराये जाने तथा योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों/मार्गो के निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख–रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की तय की गयी है तथा परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़कों के समुचित रख–रखाव होने के दशा में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3– उक्त के कम में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत सीमेण्ट कंकीट (सी0सी0) की सड़क पर 5 वर्षो तक रख–रखाव किये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। बिटुमिन्स रोड के 5 वर्षो तक के रख–रखाव हेतु आगणन में अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित की जाय। परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़कों के समुचित रख–रखाव होने के दशा में भुगतान संबंधित ठेकेदार को किया जाय।

4– बिटुमिन्स रोड के 5 वर्षो तक रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रति कि0मी0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित एस0ओ0आर0 के अनुसार धनराशि की व्यवस्था प्राक्कलन में की जानी चाहिये।

5– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही कराने तथा संशोधित मानकों के दृष्टिगत प्राक्कलन में उपरोक्तानुसार प्राविधान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

16.3.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–715 / नौ–5–2018, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन / वित्त / लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 / वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
(5) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग / गंगा सेल।
(6) गार्ड फाइल / कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

17/3/18

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।